न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/181

प्रताप आत्मज रामनाथ जाति माली निवासी सिघांडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

बनाम

1. जगदीश आत्मज मोतीलाल जाति माली निवीस सिंघाडी ।
2. देवलाल आत्मज रामनाथ ।
3. छोटू लाल आत्मज रामनाथ ।
4. प्रभूलाल आत्मज छीतर ।
5. रामलाल आत्मज छीतर ।
6. नन्दा आत्मज ईश्वर ।
7. भोलू आत्मज ईश्वर ।
8. हेमलता पुत्रियॉ रामलाल नाबालिग जरिये मॉ भोली बाई ।
9. भूला बाई पुत्रियॉ रामलाल नाबालिग जरिये मॉ भोली बाई ।
10. भोली बाई पत्नी रामलाल जाति माली निवीस सिंघाडी ।
11. चतुर्भुज आत्मज खाना जाति माली निवासी सिंघाडी ।
12. डालूराम आत्मज खाना जाति माली निवासी सिंघाडी ।
13. चौथमल आत्मज खाना जाति माली निवासी सिंघाडी ।
14. कैलाश आत्मज खाना जाति माली निवासी सिंघाडी ।
15. रोडू आत्मज ऊंकार जाति माली निवासी सिंघाडी ।
16. केली पुत्री ऊंकार जाति माली निवासी सिंघाडी ।
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब हिण्डोली ।
18. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय, हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रामदत्त शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रघुवीर सिंह, राजावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 14.02.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सिंघाडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में कुल 13 किता की रकबा 09 बीघा 02 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 1 से 16 की सहखातेदारी में दर्ज है । प्रतिवादी क्रम 1 से 3 के पिता रामनाथ आत्मज चन्द्रा ने वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित भूमि में निहित अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.11.1998 को बेचान कर भूमि पर कब्जा वादी को संभला दिया था तब से ही उक्त वादग्रस्त आराजी में निहित रामनाथ के हिस्से 1/3 पर शांतिपूर्वक बिना किसी रोक–टोक प्रतिवादीगण की जानकारी में निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । रामनाथ जी की मृत्यु के उपरान्त प्रतिवादी क्रम 1 से 3 ने वादी द्वारा क्रय की हुई भूमि पर गुपचुप तरीके से नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया एवं भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी क्रम 1 से 3 उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं उक्त भूमि से वादी को बेदखल करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त आराजी पर स्वयं को खातेदार घोषित करावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में तत्कालीन खातेदार रामनाथ आत्मज चन्द्रा के स्थान पर प्रतिवादी क्रम 1 से 3 के नाम दर्ज की गई है उनके स्थान पर वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादी क्रम 1 से 3 का नाम विलोपित किया जाकर उनके स्थान पर वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान नहीं करें उक्त भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा नहीं करे तथा वादी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 14.07.2015 के द्वारा वाद वादी स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी क्रम 01 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण में तनकीयात कायम होने के उपरान्त वादी रेस्पोडेन्ट जगदीश की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र साक्ष्य में अपीलान्ट प्रतिवादी को जिरह का अवसर नही दिया गया तथा न ही अपीलान्ट को साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है । प्रतिवादी अपीलान्ट के पिता के द्वारा यदि वादी रेस्पोडेन्ट को भूमि का बेचान किया होता हो इसकी जानकारी उन्हें होती तथा भूमि पर वादी रेस्पोडेन्ट का कब्जा होना चाहिए था । वादग्रस्त आराजी के विक्रेता एंव अपीलान्ट के पिता रामनाथ के अपीलान्ट प्रताप तथा प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट देवलाल व छोटूलाल के अलावा अन्य वारिस बद्रीलाल, धन्ना पुत्र तथा डाली बाई व पारी बाई पुत्रियॉ वारिस हैं जिन्हें वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है । प्रस्तुत वाद में पक्षकारों के असंयोजन का नुक्स होने से वाद चलने योग्य नहीं था । वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा

प्रस्तुत वाद में खसरा नम्बर 323 रकबा 09 बिस्वा के बाबत् कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त खसरा नम्बर के बाबत् भी निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को लोक अदालत में निर्णित किया है जिसमें अपीलान्ट को बिना सूचना दिये एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है इसलिए अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की समय पर जानकारी प्राप्त नहीं हुई । उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 21.01.2016 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई जिस पर दिनांक 17.02.2016 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने प्रतिवादी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टगण के खिलाफ दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया जो लोक अदालत में दिनांक 14.07.2015 को डिक्री कर दिया गया । सीपीसी की पालना नहीं की गई । तनकीयात कायम होने के उपरान्त वादी की ओर से साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किये गये थे । प्रतिवादी को जिरह का अवसर नहीं दिया गया और न ही साक्ष्य, सबूत पेश करने का अवसर दिया गया । वादग्रस्त आराजी पर वादी रेस्पोडेन्ट का कब्जा नहीं है । आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है । आराजी खसरा नम्बर 323 के बाबत् दावा पेश नहीं किया गया इसके बाबजूद इस खसरा नम्बर के बाबत् भी निर्णय और डिक्री पारित की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि लोक अदालत की भावना से विधिक निर्णय और डिक्री पारित की गई है । लोक अदालत में पक्षकारान की उपस्थिति में विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2015 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य वादी में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादी जगदीश और प्रतिवादीगण में से प्रतिवादी क्रम 02 देवलाल की उपस्थिति दर्ज करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी डिक्री किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है लोक अदालत में न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही उनके द्वारा कोई विधिक राजीनामा पेश किया गया है ।

12. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 25.03.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 14.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14.2.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा